



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25237-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 2262026

सुभाष पांडेय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिवेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अवधेश कुमार यादव, जगदीश पाठक, स्थायी अधिवक्ता

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. कथित रूप से जनहित में यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर वाद तय करने का निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई है।
2. यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 ('संहिता, 2006') की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसका निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध हुआ था, जिसके बाद एक पुनरुद्धार (रेस्टोरेशन) आवेदन पर मामले को पुनर्जीवित कर दिया गया है और अंतरिम आदेश प्रदान किया गया है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्धारित समय सीमा के भीतर वाद तय करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिका में किए गए कथनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, हमारा यह मत है कि एक बार जब अपेक्षित कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो संहिता, 2006 के तहत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही को शीघ्र निपटाने के लिए कथित रूप से जनहित में निर्देश मांगना स्वीकार्य नहीं है। अतः याचिका खारिज की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

संदीप/ए.के.शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"